**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 5064/2023

Bhanu Pratap Singh Son Of Shri Ratan Singh,

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Anoop Pareek
For Respondent(s)	:	Mr. Rishiraj Singh Rathore, P.P. Mr. Tara Chand Sharma

---

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

<u>Order</u>

<u>07/04/2025</u>

योग्य लोक अभियोजक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–523/2023, पुलिस थाना झोटवाड़ा, जयपुर पश्चिम के अनुसंधान से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की, जो अभिलेख पर रखी जावे।

तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। दोनों पक्षों के अधिवक्तागण के तर्कों पर सुना गया।

तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार अभी याची से अनुसंधान नहीं हुआ है। पूर्व में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 23.11.2023 के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–523/2023, पुलिस थाना झोटवाड़ा, जयपुर पश्चिम में याची के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही को स्थगित किया हुआ है।

चूंकि अभी तक याची से अनुसंधान नहीं हुआ है, अतः दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए याची को दिनांक **30.04.2025** को या इससे पूर्व **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–523/2023, पुलिस थाना झोटवाड़ा, जयपुर पश्चिम** के अनुसंधान में भाग लेने हेतु अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है।

अनुसंधान अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे याची द्वारा अनुसंधान में भाग लेने पर उससे गहनता से आवश्यक पूछताछ करने के पश्चात् प्रकरण के अनुसंधान से संबंधित नवीनतम तथ्यात्मक रिपोर्ट योग्य लोक अभियोजक के माध्यम से आगामी तारीख पेशी पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

पत्रावली दिनांक **09.05.2025 को** सूचीबद्ध की जावे तब तक याची/अभियुक्त **भानुप्रताप सिंह पुत्र श्री रतन सिंह** को इस प्रकरण में गिरफ्तार नहीं किया जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MANOJ ADWANI /351